भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1698

13.02.2023 को उत्तर के लिए

वैश्विक बजट सम्मेलन

1698. डॉ. ढालसिंह बिसेन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से बहुत कम का उपयोग किया है, जिससे काबर्न उत्सर्जन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वैश्विक कार्बन बजट में भारत के योगदान को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अंतर्गत अगले वैश्विक बजट सम्मेलन में भारत से एक विशेषज्ञ पैनल भेजने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : विभिन्न देशो से हुए संचयी उत्सर्जन सबसे महत्वपूर्ण मापदंड हैं क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रत्येक देश द्वारा वैश्विक कार्बन बजट का कितना उपयोग किया गया है और क्या यह उनके उचित हिस्से के अनुरूप है। प्राथमिक स्रोतों से संकलित डाटा के आधार पर, क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर (https://climateequitymonitor.in) वेबसाइट द्वारा प्रदान किए गए संकलन के अनुसार सभी विकसित देशों ने वर्ष 2019 तक वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से से अधिक की खपत की है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन (यूएनएएफसीसीसी) के पक्षकार के रूप में, भारत समय-समय पर अपनी राष्ट्रीय संसूचना (एनसी) और द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्टें (बीयूआर) यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत करता है जिसमें राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) सूची शामिल है। फरवरी, 2021 में यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत की गई भारत की तृतीय द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2016 के लिए कुल जीएचजी उत्सर्जन 2.5 बिलियन टन CO_{2e} है। हमारा वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.96 tCO_2 है, जो विश्व के प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन के एक-तिहाई से भी कम है और वर्ष 2016 में हमारा वार्षिक उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का केवल 5 प्रतिशत ही है। लगभग 17 प्रतिशत मानव आवाबदी का आवास होने के बावजूद, भारत ने वर्ष 1850 से 2019 तक वैश्विक संचयी उत्सर्जनों में केवल 4 प्रतिशत का योगदान दिया है। साम्या अर्थात्, वैश्विक सामान्य संसाधनों का न्यायसंगत सहभाजन के आधार पर, भारत ने वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से की तुलना में बहुत कम का उपयोग किया है।

जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई से उत्पन्न समस्या है जिसे बहुपक्षवाद के माध्यम से हल किया जाना है और विश्व के देशों को वैश्विक कार्बन बजट के अपने संबंधित उचित हिस्सों का ही उपयोग करने पर दृढ़ रहना चाहिए। यूएनएफसीसीसी के अनुसार भारत एक विकासशील देश होने के कारण, इसकी सामाजिक और विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उत्सर्जन बढ़ेगा। भारत वर्ष 2070 में निवल शून्य तक पहुंचने संबंधी अपनी दीर्घकालिक अल्प कार्बन विकास कार्यनीति के माध्यम से इसे प्राप्त करना चाहता है और वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से की सीमा में रहेगा। यूएनएफसीसीसी के सामान्य लेकिन विभिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआरएण्डआरसी) के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करते हुए यह भारत के समावेशी और संधारणीय विकास को सक्षम करेगा।

यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत की गई संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) और यूरोपीय संघ की 7वीं राष्ट्रीय संसूचनाओं के अनुसार, वर्ष 2015 में उनका कुल उत्सर्जन क्रमश: 6,671 मिलियन टन CO_{2e} और 4,450 मिलियन टन CO_{2e} आंका गया है। वर्ष 2030 के लिए यूएसए हेतु अनुमानित उत्सर्जन 6,194 मिलियन टन CO_{2e} तथा यूरोपीय संघ के लिए 3,872 मिलियन टन CO_{2e} हैं।

भारत सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एनएपीसीसी) सहित अपने विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, संधारणीय कृषि, हिमालयी पर्यावास, संधरणीय पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिपरक जानकारी के विशेष क्षेत्रों में मिशन शामिल हैं। एनएपीसीसी सभी जलवायु कार्रवाईयों के लिए एक व्यापक कार्य-ढांचा प्रदान करता है। चौंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य-विशिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी के अनुरूप अपनी राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। ये एसएपीसीसी, अनुकूलन सहित क्षेत्र-विशिष्ट और व्यापक-क्षेत्रीय प्राथमिकता कार्यों की रूप-रेखा तैयार करते हैं। घरेलू रूप से जलवायु परिवर्तन से दृढ़ता से निपटने के अलावा, भारत ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा अनुकूलन अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) जैसे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों की शुरूआत की है। सीडीआरआई और आईएस के तहत पहलें नामत:, द्विपीय राज्यों के लिए अनुकूलन अवंसरचना (आईआरआईएस) और ग्रीन ग्रिड पहल- एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड (जीजीआई - ओएसओडब्ल्यूओजी) शूरू की गईं। ऐसे क्षेत्रों, जिनमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना मुश्किल है, को स्वैच्छिक रूप से अल्प कार्बन उत्सर्जन में बदलने के लिए औद्योगिक बदलाव हेतु नेतृत्व दल (लीड - आईटी) का स्वीडन के साथ, भारत सह-नेतृत्व करता है।

उपर्युक्त उपयों के परिणामस्वरूप, भारत ने उत्तरोत्तर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से आर्थिक वृद्धि को अलग करना जारी रखा है। वर्ष 2005 तथा 2016 के मध्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 24 प्रतिशत तक की कमी आई है। इसके अलावा, भारत ने नवम्बर, 2021 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी संचयी विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत अनुसूची से लगभग नौ साल पहले ही पूरा करके पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन (2015) में घोषित किए गए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित

योगदानों (एनडीसी) में से एक को समय से पहले प्राप्त कर किया है। दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान हिस्सेदारी 42.53% है। भारत के मिश्रित ऊर्जा में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी भी बढ़ रही है जिससे इसके स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्य में सहायता मिल रही है।

(ग) और (घ) : जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) एक अंतरसरकारी निकाय है जिसका गठन संयुक्त रूप से वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा किया गया था। यह वर्तमान में अपने छठे आकलन चक्र में है। वैश्विक कार्बन बजट के प्रतिफल वैज्ञानिक रूप से आईपीसीसी के समग्र कार्यों/गतिविधियों के आवश्यक हिस्से हैं। आइपीसीसी के एक सदस्य के रूप में सरकार, आईपीसीसी के सभी प्रासंगिक सत्रों और कार्यकलापों में अपना शासकीय प्रतिनिधमंडल भेजती है और आईपीसीसी के वैज्ञानिक/तकनीकी कार्यकलापों में अपने वैज्ञानिक समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देती है।

*****